पत्र संख्या : 7ब / 4702 यो.ज.सं०–02 / 2017 ......153......

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची / दुमका / प्रबंध निदेशक;
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि०),
(झालको), राँची / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड,राँची।

रॉची, दिनांक : 27-11-17

विषय :– मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50S470200101190545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2017–18** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2017–18** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	माँग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल / 19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,	05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, 50S470200101190545	**945.00**
आवंटित राशि – ₹ नौ करोड़ पैतालीस लाख मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2017–18 के **संशोधित उपबंध रू० 1000.00 लाख (रू० दस करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1363(वि०) दि० 09.05.2016 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰ एल॰ खाता में जमा करेंगे।
16. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रॉंची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाऐगा।
17. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2018 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, **Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं **पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त।

Sukhdev 27/11

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 153 रॉंची, दिनांक :– 27-11-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड; पो॰ – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा /रामगढ़/गोड्डा/धनबाद/बोकारो** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त।

Sukhdev 27/11

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 153 रॉंची, दिनांक :– 27-11-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	Sukhdev 27/11 **(सुखदेव सिंह)** **अपर मुख्य सचिव**

विभागीय पत्रांक........153........ दिनांक ....27-11-17........ का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष –4702– लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल
उप शीर्ष –19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य
विपत्र कोड–50S470200101190545
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2017–18) ₹ 1000.00 लाख (रू॰ दस करोड़) मात्र। (राशि लाख रूपये मे)

क्र॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMIR001)	धनबाद	टुण्डी	बीरा लाल हान्सदा के खेत के पास करमाटॉड जोरिया में एकल चेकडैम निर्माण	63/28.11.16	54.9720	0.00	0.00	50.00	50.00	75335	
					योग	**54.972**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**50.00**		
2	प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉंची (RNCIRR035)	पलामू	पांकी	ग्राम उसकू बरवाडीह में अमानत नदी पर उदवह सिचांई योजना का निर्माण	32/29.08.17	44.6000	0.00	0.00	270.00	270.00	75337	
3		गढवा	मेराल	सिहो ग्राम में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		45.2820	0.000					
4		पलामू	सतबरवा	ग्राम लोहरी में मलय नदी पर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		60.0170	0.000					
5		गढवा	गढवा	ग्राम कोरवाडीह–I में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		39.8930	0.000					
6		गढवा	डंडई	ग्राम झोटर में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		43.0330	0.000					
7		गढवा	गढ़वा	कुण्डी (पश्चिम) ग्राम में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		70.3630	0.000					
8		पलामू	पाटन	ग्राम टंडवा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	03/21.04.17	53.0200	0.000	0.00	240.00	240.00	75338	
9		पलामू	पंडवा	ग्राम गोल्हना में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		53.9870	0.000					
10		पलामू	पंडवा	ग्राम बटसारा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		53.2800	0.000					
11		पलामू	पंडवा	ग्राम मुरमा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		58.6380	0.000					
12		पलामू	पंडवा	ग्राम पंडवा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		56.8750	0.000					
					योग	**578.9880**	**0.00**	**0.00**	**510.00**	**510.00**		
13	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)	हजारीबाग	टाटीझरीया	खम्भवा डैम पर उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	48/16.10.17	37.3140	0.000	0.00	30.00	30.00	75342	
14		रामगढ़	गोला	बड़का नदी पर चेकडैम / वीयर निर्माण	06/24.04.17	95.3610	0.000	0.00	125.00	125.00	75348	
15		रामगढ़	गोला	घोरमोरा पर चेकडैम / वीयर निर्माण		129.6650	0.000					
					योग	**1,119.9030**	**0.00**	**0.00**	**155.00**	**155.00**		
16	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMIR014)	गोड्डा	पोड़ैयाहाट	चीर नदी में वीयर निर्माण कार्य	06/24.04.17	219.6030	0.000	0.00	200.00	200.00	75351	
17		गोड्डा	पथरगामा	लहटन पकड़िया डॉड़ में वीयर का निर्माण		219.0260	0.000					
18		गोड्डा	बोआरी जोर	बोआरीजोर नाला में वीयर निर्माण		102.2860	0.000					
					योग	**540.9150**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**200.00**		
19	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)	बोकारो	चन्दनकियारी	कनकचास ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का पुर्निर्माण	48/16-10-17	38.5060	0.000	0.00	30.00	30.00	75343	
					योग	**38.5060**	**0.000**	**0.00**	**30.00**	**30.00**		
							कुल योग	**0.00**	**945.00**	**945.00**		

आवंटित राशि – ₹ नौ करोड़ पैतालीस लाख मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 27/11/17
अपर मुख्य सचिव